न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, राजगढ़, जिला–अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल, *R.J.S.*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23/1631/2022

सीआईएस नं : 529/2022

एफआईआर नं : 397/2022

पुलिस थाना : राजगढ

राजस्थान राज्य

..........परिवादी

ब ना म

1. साहिल पुत्र नब्बी खा मेव उम्र 20 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर
2. ईजाजू खा उर्फ ईजाजुल खां पुत्र नब्बी खां उम्र 26 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर

....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 406ए 354 भा.दं.सं.

उपस्थिति:–
1. राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी।
2. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक पटेल।

निर्णय **दिनांकः. 20.07.2023**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि फरियादिया रिजवाना ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ में इस आशय की पेश की कि प्रार्थीया का विवाह साहिल के साथ समाज की रीति रिवाज के अनुसार ग्राम पिनान तहसील रैणी थाना राजगढ जिला अलवर में सम्पन्न हुआ था। प्रार्थीया के विवाह के साथ ही प्रार्थीया की बडी बहन सकुनत का विवाह भी साहिल के बडे भाई इजाजू खां के साथ हुआ था। प्रार्थीनी के पिता ने शादी में प्रार्थीनी को एक मोटरसाईकिल स्पेण्डर प्लस, फ्रिज, टी.वी वाशिंग मशीन, कुलर, सिलाई मशीन, डबल बैड, लोहे का बडा बक्सा, लोहे की अलमारी, आदि घरेलू सामान व सोने चांदी के जेवरात मे पायजेब, चांदी के एक किलो पेरो के दो कडे, सोने की अंगूठी, व पहनने के कपडे, बर्तन आदि घरेलू सामान व नकद दो लाख ग्यारह हजार रुपये दिये। शादी के बाद से ही प्रार्थीनी के पति साहिल व ससुर नब्बी खा, सासु हमजा, जेठ इजाजू व नन्द हसीना निवासी नरियाला थाना सीकरी जिला

भरतपुर प्रार्थीनी को दहेज के लिए तंग व परेशान करने लगे। ये लोग प्रार्थीनी से कहते कि जब तक वह पांच लाख रुपये व मारूति कार लेकर नही आएगी वे लोग उसे घर में नही रखेंगे। तथा सभी उसके साथ मारपीट व तंग व परेशान करते थे। प्रार्थीनी का ससुर नब्बी खां, जेठ इजाजू खां, नन्देव समीम खां, प्रार्थीनी के साथ छेडछाड करते तथा प्रार्थीनी से ये तीनों लोग अवैध संबंध बनाने का दबाव डालते। प्रार्थीनी के मना करने पर कहते थे कि अगर वह उनसे शारीरिक संबंध नही बनायेगी तो उसे घर में नहीं रखेंगे। उक्त लोगों ने प्रार्थीनी के साथ कई बार छेडछाड व संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर दिनांक 10.06.2022 को घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थीया उसके पिता के साथ उसके घर ग्राम पिनान थाना राजगढ आ गई। इसके पश्चात् प्रार्थीनी के पिता, ताउ, कालू, खं ग्राम के मंगल खां, सुबान खां रामावतार टाक, अलिमोहम्मद, जगमोहन, व अन्य गांव के लोग प्रार्थीया के ससुराल वालों के पास गये उन्होंने इन लोगों को काफी समझाया लेकिन प्रार्थीया के ससुराल के लोगों ने प्रार्थीया को साथ रखने से मना कर दिया तथा प्रार्थी का शादी का सारा सामान जो प्रार्थीया के पिता ने शादी में दिया शादी में दी गई महर व सोना, सोने की हसली 20 ग्प्रम सोने का गुलीबंद 20 ग्राम, का अपने पास रख लिया व प्रार्थीया को देने से मना कर दिया प्रार्थीया अब अपने पिता के ग्राम पिनान तह रैणी थाना राजगढ जिला अलवर में रह रही है। इत्यादि उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ में एफआईआर नं 379/22 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त साहिल के विरूद्ध अपराध धारा 498ए 406आईपीसी व अभियुक्त ईजाजू खां के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 406ए 354 आईपीसी में दर्ज कर दिनांक 14.11.2022 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

02 अभियुक्तगण में से साहिल के विरूद्ध दिनांक 03.01.2023 को अपराध धारा 498ए, 406ए भा.द.स का आरोप तथा दिनांक 03.03.2023 को अभियुक्त इजाजू खां के विरूद्ध अपराध धारा 498ए, 406ए, 354 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये, अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03 अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 बुद्ध सिंह, पी.ड.2 हारूनी, पी.ड.3 तैययब, पी.ड.4 राजेश कुमार, पी.ड.5 ईसब खान, पी.ड 6 इस्लम खां, पी.ड.7 श्याम सुन्दर, पी. ड.8 सियाराम, पी0ड. 9 जैकमदीन, पी.ड. 10 रिजवाना के बयान करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रदर्श पी.1, जप्ती स्त्रीधन प्रदर्श पी2, अस्थाई सुपुर्दगी स्त्री धन प्रदर्श पी3, पुलिस बयान गवाह तैयब प्रदर्श पी4, गिरफ्तारी मुलजिम ईजाजू प्रदर्श पी5, पूलिस बयान गवाह ईसब खान प्रदर्श पी6, पुलिस बयान गवाह इस्लाम खां

प्रदर्श पी 7, रिपोर्ट प्रदर्श पी8, चाक एफआईआर प्रदर्श पी9, आदि को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया गया है।

04. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुये प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नही की है।

05. प्रकरण में हमारे समक्ष अवर्धाय बिन्दु यह है किः–

1. '' परिवादिया रिजवाना से हुए सम्पन्न विवाह के पश्चात् से ही दहेज के लिए प्रताडित कर पांच लाख रुपये व एक मारूति कार देने की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया, मारपीट कर क्रुरतापूर्ण व्यवहार किया।

02. उक्त विवाह के पश्चात् किसी समय परिवादिया रिजवाना के पीहरपक्ष द्वारा दिये गये स्त्रीधन को परिवादिया द्वारा मांगने पर लौटाने से इंकार कर बैईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भग कर अपराध किया।

3. परिवादिया रिजवाना की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से कई बार छेडछाड की व शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास में आपराधिक बल का प्रयोग कर मारपीट की।

2. यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

06– बहस अंतिम के दौरान अधिवक्ता मुलजिमान का यह तर्क रहा कि न्यायालय के समक्ष हुए बयान व पुलिस बयान में फरियादिया पक्ष ने घटना घटित होने की कोई तारीख, वर्ष व समय नही बताया है। विवाह दिनांक 11.05.2016 को सम्पन्न हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22.07.2022 को दर्ज करवाई गई अर्थात् 6 वर्ष 2 माह 11 दिन बाद दर्ज करवाई गई। देरी से रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई यथाचित कारण प्रस्तुत नही किया गया है। प्रथम बार दहेज की मांग को लेकर मारपीट कहा की गई थी इसे अभियोजन पक्ष साबित नही कर पाया है। 6 वर्ष 2 माह 11 दिन अपने पीहर रहने के बावजूद इतनी लंबी अवधि के दौरान कोई शिकायत फरियादी पक्ष के द्वारा नही की गई थी। इस प्रकरण में सब से महत्वपूर्ण साक्ष्य फरियादिया रिवाजना की बहन सकुनत की हो सकती थी जिसे अभियोजन पक्ष ने बतौर साक्षी न्यायालय में पेश नही किया है, जिससे अभियोजन कहानी झूंठी प्रतीत होती है। धारा 406 आईपीसी का अपराध अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से प्रमाणित नही है। फरियादिया के माता–पिता की साक्ष्य Hear and Say Evidence है। उनके स्वयं के समक्ष कोई घटना घटित नही हुई। चश्मदीद साक्षी पी.ड. 3, 5, 6 व 9 पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुये है। जिससे अभियोजन

का मामला साबित नही माना जा सकता है। नक्शा मौका साबित नहीं है। अभियोजन ने झूंठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर मुलजिम के विरूद्ध प्रकरण बनाया है। फरियादिया के माता–पिता ने अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि रिजवाना और साहिल के मध्य विवाद का मुख्य कारण उनके विचारों का नहीं मिलना था। इसलिए इन गवाहों की साक्ष्य से दहेज की मांग कर प्रताडित करना प्रमाणित नही है। फरियादी पक्ष ने ईलाज का कोई पर्चा तथा मेडिकल रिपोर्ट पेश कर प्रदर्शित नही करवाया है। जितने भी बयान दिये गये है वे सारे बढ़ा चढ़ाकर दिये गये है, जो माने जाने योग्य नहीं हैं अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

01. Devi Singh And Ors. Vs The State Of Rajasthan
2016 (4) R.Cr.D 333 (Raj.)

02. Nathu Ram and Anr. Vs State of Rajasthan
2016 (4) R.Cr.D 431 (Raj.)

07– अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व परिवादिया पक्ष ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। तथा न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इन विचारणीय बिन्दूओं को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

09. यह प्रकरण प्रार्थीया रिजवाना बानों द्वारा पुलिस थाना राजगढ में दी गई तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है।

10. तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थीया ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट में यह बताया है कि उसका विवाह साहिल के साथ रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय घरवालों ने अपनी सार्मथ्य अनुसार दहेज का सारा सामान दिया था। शादी के बाद से ही साहिल, ससुर नब्बी, सासु हमजा, जेठ इजाजू व नन्द हसीना

दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। वे लोग पांच लाख रुपये नकद व मारूति कार की मांग करते थे। इस हेतु प्रार्थीया के साथ कई मर्तबा मारपीट की गई। ससुर नब्बी खां, जेठ इजाजू खां प्रार्थीनी के साथ छेडछाड करते थे और साथ ही परिवादिया रिजवाना को अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। जब प्रार्थीया ने शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया तो इन सब लोगों ने दिनांक 10.06.2022 को मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद प्रार्थीया के पिता ने गांव के मौजिज लोगों के साथ जाकर समझाईश की लेकिन ससुराल वालों ने रखने से मना कर दिया। दहेज का सामान मांगा तो वह भी देने से भी इंकार कर दिया।

11. उक्त तहरीरी रिपोर्ट में अंकित कथनों को लेकर न्यायालय के समक्ष जो गवाहान परीक्षित हुए है उनमें से सबसे अहम गवाह रिजवाना है, जिसने पी.ड.10 के रूप में परीक्षित होकर अपनी सशपथ साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में, जो रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ को दी गई उसके सम्पूर्ण कथनों को दौहराया हैं और बताया कि उसका विवाह साहिल के साथ दिनांक 11.05.2016 को हुआ था। विवाह में मोटरसाईकिल, फ्रीज, डबल बेड, बक्सा, लोहे की कोठी, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन, चांदी की पायल, एक किलो चांदी के कडे, पहनने के कपड़े, दो लाख 11 हजार रुपये नकद दिये, मेहर में 20 ग्राम सोने की हंसली, और 20 ग्राम सोने का गुलीबंद भी दिया था। विवाह के पश्चात् ससुरालवालों ने एक मारूति कार व 5 लाख रुपये की मांग को लेकर फरियादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से तंग व परेशान किया। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में इजाजू खा व ससुर नब्बी का गवाह पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डालने की बात भी बताई। गवाह का यह भी कथन रहा कि दिनांक 10.06.2022 को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था। दहेज में दिया सामान मांगा लेकिन देने से मना कर दिया। घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी.8 दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने पिता बुद्धसिंह भी गये थे जिनके भी उस पर हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 9 है। नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 1 है। निकाह का मूल निकाहनामा प्रदर्श पी 11 है। न्यायालय में बयान हुए जो प्रदर्श पी 13 है। गवाह ने यह भी बताया कि सभी मुलजिमान उसकी बहन सकुनत के साथ भी मारपीट करते थे लेकिन वह बच्चों के लिए सब सहन करती थी।

12. इस महत्वपूर्ण गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई जिरह में गवाह ने बताया कि प्रदर्श पी 8 किससे लिखवाया, उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी 8 किस तारीख, को लिखा यह भी पता नही हैं। प्रदर्श पी 8 पर गोणा एक साल बाद होना लिखा है या नही यह गवाह को पता नही है। गवाह ने प्रदर्श पी 8 को पढकर कहा कि गौणा एक साल बाद होने की बात प्रदर्श पी 8 में नही लिखी हुई है। शादी के बाद

दहेज की मांग को लेकर मारपीट करना तथा दहेज की मांग करने की तारीख, वर्ष, महिना, गवाह को पता नहीं हैं शादी के बाद किस तारीख को पहली बार दहेज की मांग की यह खुद गवाह नहीं बता सकती। गवाह ने फिर आगे कहा कि उससे मांग वर्ष 2016 में की थी। 2016 में मांग करने वाली बात प्रदर्श पी 8 में नहीं लिखी हुई है। दहेज की अंतिम बार मांग दिनांक 10.06.2022 को की थी। दिनांक 10.06.2022 को दहेज की मांग करने वाली बात प्रदर्श पी 8 में नही लिखी है। गवाह ने जिरह में यह भी बताया कि उसे इस बात का ध्यान नही है कि छेडछाड करने वाली बात कब और किसे बताई थी। उसके साथ छेडछाड करने की तारीख माह, साल गवाह नही बता सकती है। समझाईश करने गये लोगों से 5 लाख रुपये व कार की मांग की हो यह बात प्रदर्श पी 8 में नहीं लिखी हुई है। गौणा एक साल बाद होने वाली बात पुलिस को बता दी थी लेकिन पुलिस ने क्यों नही लिखी इस का कारण गवाह नहीं बता सकती है। इजाजू के द्वारा बलात्कार करने वाली बात भी पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 में नहीं लिखवाई थी। दहेज में कितने लाख की कौनसी गाडी चाहिए थी यह बात एफआईआर, 161 के बयान व मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिये गये बयानों में नही बताई थी। गवाह ने यह बताया कि उसे ध्यान नहीं है कि उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने वाली बात प्रदर्श पी 8 में लिखवाई थी या नहीं। राजगढ मे मुकदमा दर्ज करने के बाद वहीं अपने ससुराल गई थी, राजीखुशी 13 दिन तक रही थी। चोटों के ईलाज के बाबत कोई कागजात पुलिस को नहीं दिये थे। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी कहा कि उसके तथा साहिल के विचार मिलते थे लेकिन जेठ बीच मे आ जाता था, उसने ही विचार नही मिलने दिये। यह सही है कि साहिल ट्रक ड्राईवरी का काम करता है। इजाजू भी ट्रक ड्राईवरी का काम करता है और 1– 1 महिना घर से बाहर रहता था। जिरह के अतिम चरण में गवाह ने इस बात से इंकार किया कि मुलजिमान ने दहेज की मांग ना की हो, ना ही छेडछाड की हो।

13. प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिजवाना की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 के तमाम कथनों को दौहराया है। जिरह में गवाह ने किस तारीख को व किस से रिपोर्ट लिखवाई इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की है। दहेज की मांग कोनसी तिथी को की, इसको लेकर गवाह ने अनभिज्ञता जाहिर की है। लेकिन 2016 में दहेज की मांग करने वाली बात जरूर अपने सशपथ साक्ष्य में बताई है। गवाह के द्वारा जिरह में काफी कथनों को लेकर यह स्वीकार किया कि उसने कथन अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में नही दिये थे इसलिए ये जो कथन है वे Improvement (इम्प्रोवमेंट) की श्रेणी में आते है।

14. गवाह पी.ड. 10 रिजवाना के कथनों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष उसका पिता बुद्धसिंह पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में तमाम वे ही कथन दौहराये है, जो कि परिवादिया रिजवाना ने अपनी सशपथ साक्ष्य के मुख्य परीक्षण के दौरान बताये है। इस महत्वपूर्ण गवाह से अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। मुख्य परीक्षण के कुछ कथनों को लेकर अधिवक्ता मुलजिम ने गवाह से प्रश्न किये, गवाह ने उत्तर दिया कि उसने काफी सारी बाते पुलिस वालों को बता दी थी लेकिन पुलिस ने बयान प्रदर्श डी 1 में नही लिखी थी। गवाह ने जिरह में यह भी बताया कि समझाईश के लिए किस तारीख को गया उसे पता नही है। इस गवाह ने भी अपनी जिरह के दौरान इस बात को भी स्वीकार किया है कि रिवाजना ने कभी भी दहेज की मांग करने वाली बात उसे नहीं बताई बल्कि रिजवाना ने अपनी मां को बताई थी। गवाह की पत्नी ने ही स्वयं गवाह को सारी बाते बताई थी। इस गवाह ने अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया कि पुत्री के शरीर पर आई चोटों का इलाज किसी भी अस्पताल में व अन्य किसी जगह नही करवाया। आगे कथन किया कि पुत्री रिजवाना व साहिल के विचार आपस में नही मिलते थें और यही विवाद का मुख्य कारण था गवाह ने इस बात को भी सही बताया कि उससे स्वयं मुलजिम ने पांच लाख रुपये व मारूति कार की मांग नही की थी। इजाजू खा द्वारा छेडछाड करने की बात गवाह की पत्नी को रिजवाना ने बताई थी। इजाजू खा ने कभी पुत्री रिजवाना से दहेज की मांग नही की ना ही मारपीट की।

15. इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन किया जावे तो यह गवाह अपनी पत्नी द्वारा बताई बातों के आधार पर ही अपने कथन करता है। इस गवाह ने जिरह में यह बात जरूर बताई है कि रिजवाना व साहिल के मध्य विवाद का मुख्य कारण विचार नहीं मिलना है। इजाजू खा द्वारा छेडछाड की बात को गवाह ने स्वयं की पत्नी से जानना बताया है। लेकिन गवाह ने इस बात को भी सही बताया कि इजाजू खां ने पुत्री से कभी दहेज की मांग नही की ना ही कभी मारपीट की इसलिए इस गवाह की साक्ष्य से इजाजू खा की संलिप्तता दहेज की मांग को लेकर स्पष्ट नही होती है। इस गवाह की साक्ष्य उसकी पत्नी हारूनी पर निर्भर है। इसलिए न्यायालय को अब हारूनी की साक्ष्य को अवलोकित करना है।

16. न्यायालय के समक्ष रिजवाना की मां व बुद्धसिंह की पत्नी हारूनी पी.ड. 2 के रूप में परीक्षित हुई है। इस गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में तमाम वे ही कथन दौहराये है जो पी.ड. 10 परिवादिया रिजवाना ने बताये थें। इस महत्वपूर्ण गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई जिरह में गवाह ने बताया कि उसने पुलिस बयानो में 12 महिनों के बाद रिजवाना का गौणा करने, सकुनत को शादी के बाद

ससुराल भेज देने व शादी के छः माह तक सही रखने वाली बातें बता दी थी लेकिन प्रदर्श डी.2 में पुलिस वालों ने क्यो ंनहीं लिखी इसका कारण गवाह को नही पता है। गवाह ने यह भी बताया कि इजाजू खा व सलीम खा द्वारा रिजवाना की छाती दबाने वाली बात भी पुलिस को बता दी लेकिन पुलिस ने प्रदर्श डी 2 में क्यों नही लिखी इसका कारण उसे नही पता है। यह बात सही है कि स्वयं गवाह के सामने कभी दहेज की मांग व मारपीट नही की थी। गवाह अपनी लड़की के बताये अनुसार ही बयानों में दहेज की मांग व मारपीट की बात बता रही है। दहेज की मांग व मारपीट करने की तारीख व महीना गवाह नहीं बता सकती है। इस गवाह ने इस बात को सही बताया कि साहिल व रिजवाना के विचार नही मिलते थे। और इस कारण उनके मध्य विवाद चल रहा था। यह सही है कि साहिल, रिजवाना के चरित्र पर शंक करता था इसलिए वह रिवाजना को अपने साथ नही रखना चाहता था। गवाह ने यह भी बताया कि उसने अपनी पुत्री के शरीर पर कई मर्तबा चोटे देखी लेकिन कब देखी उसकी तारीख सन/महीना याद नही है। बच्ची के साथ मारपीट कब की इसके बारे में गवाह नहीं बता सकती है।

17. यह गहना गलत है कि इजाजू ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट व छेडछाड नहीं की हो। यह सही है कि रिजवाना व इजाजू के बीच झगडा हुआ था इस कारण इजाजू रिजवाना को अंतिम बार करीब 1 साल पहले पीहर छोड गया था।

18. इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इस गवाह नेहालांकि अपने मुख्य परीक्षण में वे ही सारे घटना क्रम बताये है जो कि रिजवाना ने बताये परन्तु जिरह के दौरान इस गवाह ने साहिल और रिजवाना के साथ में विवाद का मुख्य कारण विचार नही मिलना बताया है।

19. अन्य गवाहान जो परीक्षित हुए उनसे पी.ड 3 तैयब न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा इसने अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाली कोई भी साक्ष्य पेश नही की है। इसने केवल मात्र नक्शा मौका प्रदर्श पी1 पर अपने हस्ताक्षर होना व फर्द जप्ती स्त्री धन प्रदर्श पी2 व फर्द सुपुर्दगी स्त्री धन प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिरह के दौरान पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 का कोई भी हिस्सा लिखवाने से इंकार किया है। इसी अनुक्रम में पी.ड.5 इसब खा परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने भी अभियोजन का समर्थन करने वाली साक्ष्य नही दी हैं तथा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी2, सामान फर्द सुपुर्दगी प्रदर्श पी3 पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार किया है लेकिन पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का कोई हिस्सा लिखवाने से इंकार किया है। इसी कडी में न्यायालय के समक्ष पी.ड. 6 इस्लाम तथा पी.ड. 9 जैकब दिन परीक्षित हुआ है ये दोनो ही गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रेाही घ ाोषित हुआ है। उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नही किया बल्कि पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी7 व प्रदर्श पी 12 का कोई भी हिस्सा लिखवाने से इंकार किया है। न्यायालय के समक्ष मुलजिम ईजाजू खा की फर्द प्रदर्श पी 8 गिरफ्तारी को लेकिर पी.

ड. 4 राजेन्द्र व पीड. 8 सियाराम परीक्षित हुआ है। इन दोनों ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान यह बताया कि मुकदमा सं 397/22 के मामले में अनुसधान अधिकारी श्याम सुन्दर ने मुलजिम ईजाजू खां को केन्द्रीय कारागृह अलवर से जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफ्तार किया था।

20. प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी श्याम सुन्दर पी.ड. 7 के रूप मे परीक्षित हुआ है। इस गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान स्वयं द्वारा किए गए सम्पूर्ण अनुसंधान को बताते हुए कथन किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 पर कार्यवाही उसकी स्वंय की कलमी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी9 है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण सं 397/22 अंतर्गत धारा 498ए, 406ए, 354 आईपीसी दर्ज रजिस्टर कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में समस्त गवाहान के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। पीडिता रिजवाना की निशादेही से व मौत बिरान, ईशब, तैयब से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 कशीद किया गया था मुलजिम ईजाजू व साहिल के विरूद्ध धारा 498ए, 406ए का अपराध तथा इजाजू के विरूद्ध 468ए, 406, 354 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम को 41 का नोटिस दिने के पश्चात् जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम इजाजू खा की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 5 है। मुलजिम साहिल ने स्त्री धन पेश किया जो जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 के जप्त किया गया था। पीडिता के द्वारा स्त्री धन नही लेने पर स्त्री धन को अस्थाई रूप से साहिल को सुपुर्द कर दिया जो प्रदर्श पी 3 है। निकाहनामा की फोटो प्रति प्रदर्श पी11 है। बाद अनुसंधान पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की गई। जिस पर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम ने जिरह की गई जिरह में गवाह ने इस बात को सही बताया कि पीडिता ने मेडिकल करवाने के लिए तहरीर तो दी थी लेकिन कोई जाहिरा चोट नही होने से पीडिता ने स्वयं मेडिकल करवाने से मना कर दिया था। यह सही है कि परिवादिया व किसी भी अन्य गवाह ने छेडछाड और दहेज की मांग को लेकर तारीख महिना व सन् नही बताया था। यह भी सही है कि अनुसधान में यह पाया कि मुलजिम के बताये अनुसार जेवरात रिजवाना के पास थे।

21. प्रकरण में आई समस्त साक्ष्यों का समग्र रूप से अवलोकन किया गया। रिजवाना के द्वारा पुलिस थाना राजगढ को दी गई तहरीरी रिपोर्ट तथा न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए गवाहान पी.ड. 10 रिजवाना, पी.ड. 1 रिजवाना के पिता बुद्ध सिंह, पी.ड. 2 रिजवाना की माता हारूनी की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इन गवाहों ने अपनी साक्ष्य में मुख्य रूप से यह बताया है कि साहिल व ईजाजू तथा उसके अन्य परिवारवाले पांच लाख रुपये नकद और मारूती नही देने की बात को लेकर फरियादिया को तंग व परेशान करते थे। इसके अलावा परिवादिया व उसके माता–पिता ने यह बताया कि ससुर नब्बी खा, जेठ इजाजू खा परिवादिया रिजवाना के साथ छेडछाड करते थे और अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालते थें। इस संबंध में सभी गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में परीक्षित किसी भी गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान specific तौर पर यह नहीं बताया कि मुलजिमान ने कब, किस तारीख महिना व सन् को फरियादिया से पाच लाख रुपये व मारूती की मांग की थी। हालांकि प्रकरण में गवाह पी.ड 10 स्वयं रिजवाना ने यह जरूर बताया कि सन् 2016 में मांग की गई थी। लेकिन गवाह ने अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि सन् 2016 में मांग की थी ये बात उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 8, में अनुसंधान के दौरान दिये गये 161 के बयानो में तथा 164 के बयानो में

भी नही बताई थी। इससे स्पष्ट है कि 2016 में जो दहेज की मांग की बात बताई है। वह एक Improvement (इम्प्रावमेंट) है। यदि सन् 2016 में दहेज की मांग करने की बात का समर्थन अन्य गवाह की साक्ष्य से होता तो ये माना जा सकता था कि दहेज की मांग 2016 में की गई थी। इस संबंध में पत्रावली का और भी गहराई से अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 1 बुद्धसिंह ने तो दहेज की मांग की तारीख, महिना व सन् को लेकर अनभिज्ञाता जाहिर की है। बल्कि गवाह ने यह भी बताया कि उससे स्वयं दहेज की मांग कभी नही की गई थी। गवाह पी.ड. 2 हारूनी ने भी अपनी जिरह में इस बात को स्वीकार किया कि उससे स्वयं दहेज की मांग करने व मारपीट करने तथा छेडछाड करने की तारीख महिना पता नही है तथा इस गवाह ने यह भी बताया कि स्वयं गवाह से कभी दहेज की मांग नही की गई थी। जो दहेज की मांग की बात रिजवाना ने वर्ष 2016 मे बतायी है उसके संदर्भ में गवाह पी.ड. 2 हारूनी का यह कहना रहा है कि उसने अपने पुलिस बयानों में 12 महिने के बाद रिवाजना का गौणा करना तथा शादी के बाद छः माह तक सही रखने वाली बात बताई थी। पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रिवाजना का विवाह साहिल के साथ दिनांक 11.05.2016 को हुआ था। इस प्रकार जहा एक ओर फरियादिया रिजवाना स्वयं से दहेज की मांग करना सन् 2016 में बताती है। वही उसकी माता पी.ड. 2 हारूनी का यह कहना कि विवाह के 6 माह बाद तक साहिल व उसके घरवालों ने सही तरीके से रखा था। यह कथन यह इंगित करता है कि वर्ष 2016 में रिजवाना के साथ ना तो दहेज की मांग की गई थी ओर ना ही दहेज की मांग के लिए मारपीट की गई थी। इसलिए रिजवाना का यह कहना कि वर्ष 2016 में दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किया गया था, का समर्थन ना तो उसके पिता बुद्ध सिंह की साक्ष्य से और ना ही पी.ड. 2 हारूनी की साक्ष्य से होता है। इसलिए दहेज की मांग को लेकर तंग व परेशान किये जाने का कथन गवाहान की साक्ष्य से साबित नही है। इसलिए अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 498ए में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाने योग्य है।

22. जहा तक धारा 406 आईपीसी का प्रश्न है इसके संबंध मे पत्रावली पर रिपोर्ट प्रदर्श पी8 तथा सशपथ परीक्षित गवाह पी.ड. 10 रिजवाना, पी.ड.1 बुद्ध सिंह व पी.ड. 2 हारूनी ने अपनी सशपथ साक्ष्य में यह बताया कि उन्होंने घर का सामान, तथा नकद पैसे व जेवरात वगैरा दिये थे गवाहान की इस साक्ष्य का कोई खण्डन जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नही हुआ है, जिससे यह साबित है कि स्त्री धन न्यस्त किया गया था। धारा 406 आईपीसी के परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है कि न्यस्त किये गये स्त्री धन की मांग की जावे जिसे मुलजिम द्वारा लौटाने से इंकार किया गया हो। इस संबंध में गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो रिवाजना ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह बताया है कि न्यस्त किये गये स्त्री धन की मांग गवाह ने मुलजिमान से किया जाना बताया है। लेकिन कभी कब मांग की यह नही बताया। बल्कि अनुसंधान अधिकारी ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह बताया कि स्त्रीधन जप्त कर फरियादिया पक्ष को देना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इंकार किया, जिससे स्पष्ट है कि फरियादिया पक्ष स्वयं ही न्यस्त किये गये स्त्रीधन को लेना नही चाहती थी। इस प्रकार न्यस्त किये गये स्त्रीधन का दुविर्नियोग किये जाने का तथ्य स्पष्ट नहीं होने से धारा 406 आईपीसी का अपराध मुलजिम के विरूद्ध प्रमाणित नही होता है। इसलिए अभियुक्तगण आरोपित अपराध धारा 406 आईपीसी में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

23. जहां तक फरियादिया रिजवाना के साथ छेडछाड किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में रिवाजना ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 8 तथा न्यायालय के समक्ष बयानों में यह स्पष्ट तौर पर बताया है कि इजाजू खा ने उसके साथ छेडछाड की तथा उसकी छाती दबाई। इजाजू खा अवैध शारीरिक संबंध बनाने के लिए रिजवाना पर दबाव डालता थो। गवाह के द्वारा ये जो कथन तहरीरी रिपोर्ट तथा सशपथ साक्ष्य में किये गये है उनका कोई खण्डन जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नही होता है। गवाह के इन कथनों का दौहराव पी.ड. 1 बुद्ध सिंह व पी.ड 2 हारूनी ने भी किया है। जिनका भी कोई खण्डन नहीं हुआ है तथा खण्डनात्मक साक्ष्य पेश नही की गई। गवाह रिजवाना ने धारा 161 के बयानों में भी इजाजू खा के द्वारा छेडछाड करने की बात बताई है। इस प्रकार पत्रावली पर आई गवाहों की साक्ष्य से यह साबित है कि ईजाजू खा ने फरियादिया की छाती दबा कर लज्जा भंग का कृत्य किया है। लिहाजा मुलजिम इजाजू खा के विरूद्ध धारा 354 आईपीसी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। इसलिए अभियुक्त ईजाजू अपराध धारा 354 आईपीसी के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

24. बहस अंतिम में जहां तक अधिवक्ता मुलजिमान का बहस के दौरान दहेज की मांग व मारपीट की विशिष्ट तारीख नहीं बताना, फरियादिया से मारपीट की साक्ष्य Hear and Say प्रकृति की होना, अन्य सभी गवाहों का पक्षद्रोही घोषित होना तथा फरियादिया के माता–पिता की जिरह मे विवाद का मुख्य कारण आपस में वैचारिक मतभेद होना, मारपीट के संबंध में ईलाज की पर्चिया व मैडिकल रिपोर्ट पेश नही करना साथ ही अनुसंधान के दौरान दिये गये बयानों और न्यायालय के समख दिये गये सशपथ बयानों में काफी अंतर होना तथा संशपथ बयानो में बढ़ा चढाकर कहना आदि जो तर्क दिये गये है, ये सभी तर्क न्यायालय के विन्रम मत में माने जाने योग्य है।

25. बहस अंतिम के दौरान अधिवक्ता मुलजिम का यह भी तर्क रहा है कि ईजाजू खां ने लज्जा भंग करने का कोई कृत्य नही किया है। इसके संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रकरण मे परीक्षित फरियादिया व उसके माता–पिता ने यह बताया है कि इजाजू खां ने फरियादिया की छाती दबाई थी तथा फरियादिया पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। फरियादिया के द्वारा इन्हीं कथनों की पुनरावृत्ति 164 सीआरपीसी के तहत जो बयान लेखबद्ध किये गये थे उनमें भी की है। साथ ही इन कथनों का कोई खण्डन पत्रावली पर प्रकट नही हुआ है। लिहाजा अभियोजन पक्ष धारा 354 आईपीसी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। इसलिए अधिवक्ता मुलजिम द्वारा लज्जा भंग करने को लेकर जो उक्त तर्क दिये गये है वह माने जाने योग्य नही है।

<u>:: आ दे श ::</u>

26. परिणामस्वरूप साहिल पुत्र नब्बी खा मेव उम्र 20 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर 2. ईजाजू खा उर्फ ईजाजुल खां पुत्र नब्बी खां उम्र 26 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर को आरोपित अपराध धारा 498ए, 406, भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त ईजाजू खा उर्फ ईजाजुल खां पुत्र नब्बी खां उम्र 26 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर को आरोपित अपराध धारा 354 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(नवीन कुमार झरवाल)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.1, राजगढ़, जिला–अलवर(राज.)

27. **सजा का बिन्दू :–** विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि मुलिजम के विरूद्ध धारा 354 भा.दं.स. का अपराध है तथा मुलजिम प्रकरण में 2022 से अन्वीक्षा भुगत रहा है, यह उसका प्रथम अपराध है। उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि या आदतन अपराधी होने बाबत् कोई प्रमाण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

सहायक लोक अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि मुलजिम पर पर महिला से छेडछाड करने व संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर अपराध है। परिविक्षा अधिनियम का लाभ नहीं देकर कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्त प्रथम अपराधी की श्रेणी में आता है, परन्तु अभियुक्त पर महिला से छेडछाड करने व उस पर संबंध बनाने का दबाव डालने का गंभीर अपराध है। यदि अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुलजिम को परिविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नही पाती है।

: : दण्डादेश : :

28. अतः अभियुक्त ईजाजू खा उर्फ ईजाजुल खां पुत्र नब्बी खां उम्र 26 साल निवासी स्यालकी का बास मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर को आरोपित अपराध धारा 354 आईपीसी में दोष सिंद्ध पाये जाने पर 1 साल का साधारण कारावास और 2000/– रुपये शब्देन (दो हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड 1 माह का साधारण कारावास से मूल सजा के अतिरिक्त भुगतेगा।

अभियुक्त का सजा वारन्ट उपरोक्तानुसार बनाया जावे और मुलजिम द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी समयावधि को धारा 428 सीआरपीसी के अनुसार समायोजित किया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावे।

अभियुक्त के पूर्व मे नियमित उपस्थिति बाबत् तस्दीकशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(नवीन कुमार झरवाल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.1, राजगढ़, जिला–अलवर(राज.)

29. निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सं.1, राजगढ़, जिला–अलवर(राज.)